निर्यातकों को कस्टम रिपोर्ट पर मिलेगी राहत

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

निर्यातकों की तरफ से गलत रिफंड का दावा करने के मामले में बजट में हुए सख्त प्रावधानों पर सरकार नरमी दिखा सकती है। हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कस्टम विभाग के ऐसे मामलों और गलत रिफंड से जुड़े तौर तरीकों पर रिपोर्ट मांगी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर कारोबारियों को रियायत देने पर फैसला किया जा सकता है।

सरकार ने बजट में गलत रिफंड के मामले में माल जब्त करने का कानून बनाने का फैसला किया है। इसके तहत कुछ कारोबारी गलत तरीके से माल पर चार फीसदी तक आईजीएसटी क्लेम करते पाए गए थे। सरकार ने इस कानून को लागू करने को लेकर विभाग से रिपोर्ट मांग है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक नई रियायत के तहत कारोबारियों को बजाए एक्सपोर्ट किया जाने वाले कंटेनर के सिर्फ आपत्तिजनक माल से जुड़ा रिफंड रोकने का नियम बन सकता है। वहीं कारोबारियों को अपनी सफाई का एक और मौका भी दिया जा सकता है ताकि वो गलत क्लेम के बाद माल जब्त किए जाने से पहले विभाग के सामने अपनी बात भी रख सकें।

समीक्षा के बाद ही फैसला

फियो के मुताबिक इस माल जब्त करने के कानून से निर्यातक क्षेत्रीय संरचनाओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे। ऐसे में विवादों की स्थिति में सही फैसला न होने की आशंका रहेगी। जानकारी के मुताबिक सरकार कस्टम विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए सख्ती के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए नई व्यवस्था दे सकती है। इस समय 60-70 प्रतिशत निर्यातक आईजीएसटी दे कर निर्यात करते हैं और उन्हें शिपिंग बिल के आधार पर आसानी से रिफंड हो जाता है।